क्रम संख्या–191

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2006 ई0
पौष 07, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–9

संख्या 348/XXVII(9)/स्टाम्प/2006
देहरादून, 28 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

प0 आ0–220

राज्यपाल (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काफलीगैर, जनपद बागेश्वर में "कृषि विज्ञान केन्द्र" की स्थापना हेतु अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लिमिटेड, अल्मोड़ा द्वारा विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा को लीज पर दी जाने वाली 7.883 हेक्टेयर भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क रु0 7,66,160.00 (सात लाख छियासठ हजार एक सौ साठ मात्र) तक की छूट दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 वित्त/03–2007–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।